रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 28, 2017/फाल्गुन 9, 1938
No. 73] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 28, 2017/PHALGUNA 9, 1938

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
(गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के लिए)
अधिसूचना

गुड़गांव, 21 नवम्बर, 2016

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के लिए
(वितरण संहिता) विनियम, 2010 में संशोधन

सं. जेईआरसी : 15/2010 – विद्युत अधिनियम, 2003 (2006 का 36) की धारा 42(1) और धारा 86 (ग), (ड.) और (झ) के साथ पठित धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियों, तथा इसके द्वारा प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग एतद्वारा गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (दिल्ली को छोड़कर) (वितरण संहिता) 2010 (इसके बाद से "प्रधान विनियम" के रूप में उल्लेख किया गया है) में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियमों का प्रारूप बनाने का प्रस्ताव करता है तथा उक्त अधिनियम की धारा 181 की उप-धारा 3 तथा विद्युत (पूर्व प्रकाशन के लिए प्रक्रिया) नियम, 2005 के नियम 3 द्वारा अपेक्षित अनुसार, उक्त विनियमों के प्रारूप को इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त विनियमों के प्रारूप को किसी आपत्ति या सुझाव; जो इस संबंध में प्राप्त होने वाली उपर्युक्त अवधि के अंतर्गत होंगे, सहित आयोग की वेबसाइट पर उनके प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा।

इस संबंध में आपत्तियों / सुझावों को गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के लिए जेईआरसी, वाणिज्य निकुंज, दूसरा तल, उद्योग विहार, फेज-V, गुड़गांव-122016 (हरियाणा) को संबोधित किया जाना चाहिए।

1. संक्षिप्त शीर्षक, सीमा और प्रारंभ

i. इन विनियमों को संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (वितरण संहिता) (प्रथम संशोधन), विनियम, 2016 कहा जाएगा।

ii. ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

iii. ये विनियम संपूर्ण गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्र अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव, लक्षद्वीप और पद्दुचेरी पर लागू होंगे।

2. मूल विनियम के विनियम 3.5 (12) में संशोधन

मूल विनियम के विनियम 3.5 (12) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"वितरण प्रणाली की योजना इस प्रकार से बनाई जानी चाहिए कि वितरण प्रणाली के लिए सुरक्षा मानकों, संरक्षा मानकों और **विद्युत गुणवत्ता मानकों** की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना यह किफायती हो और इससे ऊर्जा हानि में कमी आए"।

3. मूल विनियमों के विनियम 4.3 (3) में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 4.3 (3) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए:-

"मांगे गए प्रत्येक नए कनेक्शन के लिए वितरण लाइसेंसधारी इस संहिता के **अध्याय-6** के अंतर्गत "मीटर और सुरक्षा संहिता" में विनिर्दिष्ट अनुसार मीटर और सुरक्षा आवश्यकताओं सहित कनेक्शन प्वाइंट / इंटरफेस प्वाइंट का उल्लेख करेगा"।

4. मूल विनियमों के शीर्षक "संचार" के अंतर्गत विनियम 5.7 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 5.7 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए:-

"विश्वसनीय और ठोस संचार संपर्क अर्थात् ई-मेल पता (चौबिसों घंटे उपलब्ध), दूरभाष, फैक्स आदि को आंकड़ों, सूचना तथा लाइसेंसधारी के बीच प्रचालन अनुदेशों का आदान-प्रदान करने, 1 मेगावाट और अधिक तथा एसएलडीसी की संवदिा मांग वाले उपभोक्ताओं हेतु स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक वितरण उपयोगिता अंतिम उपभोक्ता स्तर पर उचित संचार अवसंरचना की स्थापना तथा रखरखाव सुनिश्चित करेगा।"

5. मूल विनियमों के विनियम 5.9 (1) में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 5.9 (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

वितरण लाइसेंसधारी और प्रयोक्ता (उत्पादन कंपनियां, यदि कोई हों, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी और 5 मेगावाट से अधिक वाले उपभोक्ता या समर्पित लाइनों सहित) तथा अन्य कोई वितरण लाइसेंसधारी, जिसका लाइसेंसधारी के साथ सामान्य विद्युत इंटरफेस हो, सुरक्षा समन्वय के लिए जिम्मेदार उपयुक्त व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट करेगा। इन व्यक्तियों को नियंत्रण व्यक्ति के रूप में संदर्भित किया जाएगा। उनके पदनाम, ई-मेल पते और दूरभाष संख्या को सभी संबंधित व्यक्तियों को आधान प्रदान जाएगा। सूची में कोई परिवर्तन होने पर सभी संबंधितों को तत्काल अधिसूचित किया जाएगा।"

6. मूल विनियमों के विनियम 6.1 में संशोधन

इस विनियम के अंतर्गत **"7.2** से 7.4 संख्या को 6.2 से 6.4 पढ़ा जाए।**"**

7. मूल विनियम के संलग्नक-1 में संशोधन

मूल विनियमों के संलग्नक-1 के खंड 6.7 (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए:-

"230 वोल्ट सिंगल फेज आपूर्ति हेतु मीटर को किसी उपयुक्त बोर्ड में लगाया जाना चाहिए, जो ऐसे स्थान पर स्थित हो, जहां सूरज और बारिश का प्रभाव न पड़े तथा यह एक **उपयुक्त छेड़छाड़ रहित बॉक्स** में बंद होना चाहिए तथा इसकी रीडिंग को आसानी से देखा जा सकता हो। **इसी प्रकार**, कनेक्शन सहित 400 वोल्ट तीन फेज आपूर्ति के लिए मीटर और संबद्ध मीटर उपकरण किसी उपयुक्त छेड़छाड़ रहित प्रूफ बॉक्स में बंद होना चाहिए। **छेड़छाड़ रहित बॉक्स काफी मजबूत होना चाहिए, जिसमें ताला और सील उपकरण होने चाहिए तथा अपेक्षित विद्युत अनुमोदन सहित ताप को कम करने के लिए पर्याप्त प्रावधान होना चाहिए। इसका डिजाइन इस प्रकार का होना चाहिए कि मीटर या इसके कनेक्शनों से होकर गुजरे बिना इसकी रीडिंग ली जा सके। मीटर और बॉक्स के टर्मिनलों को छेड़छाड़ रहित बनाकर सील किया जाना चाहिए।**"

कीर्ति तिवारी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./426/16]

वितरण संहिता (प्रथम संशोधन) विनियम, 2016
पर व्याख्यात्मक टिप्पणी

गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग गोवा राज्य और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव, चंडीगढ़, लक्षद्वीप तथा पुद्दुचेरी संघ शासित क्षेत्रों में विद्युत क्षेत्र को विनियमित कर रहा है। आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 की उप-धारा (1) और (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों तथा इसके द्वारा प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशनों के बाद 23 मई, 2011 को संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (वितरण संहिता) विनियम, 2010 नामक विनियमों को अधिसूचित करता है।

इन विनियमों का आशय लाइसेंसधारियों द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता के संबंध में मानकों को लागू करना था। समय के साथ प्राप्त अनुभवों और उपलब्ध फीडबैक के आधार पर आयोग को इन विनियमों की समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस हुई, विशेषकर विद्युत गुणवत्ता मानकों के संबंध में प्रावधान; प्रणाली में हानि को किफायती ढंग से कम करने के लिए वितरण योजना; आंकड़ों के आदान-प्रदान अनुदेशों का प्रचालन करने आदि के लिए विश्वसनीय और ठोस संचार प्रणाली की व्यवस्था करना जो

IndiaCode

लाइसेंसधारी एसएलडीसी और उपभोक्ता के बीच मांग के कुछ निर्धारित स्तर की पारदर्शिता हो; लाइसेंसधारी और प्रयोक्ताओं के बीच सुरक्षा समन्वय; तथा सीईए के मीटर संबंधी मानकों के रूप में 230 वोल्ट सिंगल फेज आपूर्ति तथा 400 वोल्ट तीन फेज आपूर्ति के लिए फूलप्रूफ मीटर कक्ष। इसके साथ-साथ, समीक्षा के दौरान जहां-कहीं विसंगतियां पाई जाती हैं, उन्हें भी दूर करना ताकि विनियमों को अधिक ठोस और व्यापक ढंग से प्रस्तुत किया जा सके, जिसे लाइसेंसधारी और प्रयोक्ताओं द्वारा कार्यान्वयन हेतु आसानी से समझा जा सके।

तदनुसार गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्र (वितरण संहिता) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2016 के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग का प्रारूप बनाया गया है और आयोग द्वारा अनुमोदित अनुसार संलग्न है। केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 09.06.20105 की अधिसूचना सं. जीएसआर-387 (ड.) द्वारा अधिसूचित पूर्व प्रकाशन हेतु नियम 2005 के अनुसार प्रारूप को ईडी (मानित लाइसेंसधारियों) और अन्य सभी शेयरधारकों के विचारों / टिप्पणियों / सुझावों को आमंत्रित करने के लिए जेईआरसी की वेबसाइट पर प्रारूप को अपलोड करने के लिए नोटिस जारी किया जाता है।

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For The State of Goa and Union Territories)

NOTIFICATION

Gurgaon, the 21st November, 2016

AMENDMENTS IN THE JOINT ELECTRICITY REGULATORY

COMMISSION FOR THE STATE OF GOA & UNION TERRITORIES (DISTRIBUTION CODE) REGULATIONS, 2010

No. JERC : 15/2010.—In exercise of the powers conferred under Section 181 read with Section 42 (1) and Sections 86 (c), (e) and (i) of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa & Union Territories hereby proposes to make the following draft Regulations further to amend the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa & Union Territories (except Delhi) (Distribution Code) 2010 (hereinafter referred to as the "Principal Regulations" and as required by sub-section 3 of Section 181 of the said Act and Rule 3 of the Electricity (Procedures for previous publication) Rules, 2005, the said Draft Regulations are hereby published for the information of all the persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said Draft Regulations will be taken into consideration after the expiry of 30 days from the date of their publication on the website of the Commission together with any objection or suggestion, which may within the aforesaid period be received in this respect.

The objections / suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary, JERC for the State of Goa & Union Territories, Vanijya Nikunj, 2nd Floor, Udyog Vihar, Phase V, Gurugram – 122016 (Haryana).

1. Short Title, Extent and Commencement

i. These Regulations may be called the Joint Electricity Regulatory Commission (Distribution Code) (First Amendment), Regulations, 2016.

ii. These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

iii. These Regulations shall extend and apply to the whole of the State of Goa and the Union Territories of Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu, Lakshadweep and Puducherry.

2. **Amendment of Regulation 3.5 (12) of the Principal Regulations**

Regulation 3.5 (12) of the Principal Regulations, shall be substituted as under:-

"The planning of the Distribution System shall always keep in view the cost effectiveness and reduction in energy losses without sacrificing the requirements of Security Standards, Safety Standards and **Power Quality Standards** for the Distribution System".

3. **Amendment of Regulation 4.3 (3) of the Principal Regulations**

Regulation 4.3 (3) of the Principal Regulations, shall be substituted as under:-

"For every new connection sought, the Distribution Licensee shall specify the Connection Point / Interface Point and the supply voltage, along with the metering and protection requirements as specified in the "Metering and Protection Code" under **Chapter – 6** of this Code."

4. **Amendment of Regulation 5.7 under the head "Communication" of the Principal Regulations**

Regulation 5.7 of the Principal Regulations shall be substituted as under:-

"Reliable and sound communication links viz e-mail id (available round the clock), telephone , fax etc. shall be established for exchange of data, information and operating instructions between the Licensee, Consumer with contract demand of 1 MW and above and the SLDC. Each distribution utility shall ensure installation and maintenance of proper communication infrastructure at the consumer's end."

5. **Amendment of Regulation 5.9 (1) of the Principal Regulations**

Regulation 5.9 (1) of the Principal Regulations shall be substituted as under:-

The Distribution Licensee and the Users (comprising Generation Companies if any, Transmission Licensee and Consumers having load above 5 MW or dedicated lines) and any other Distribution Licensee having common electrical interface with the Licensee, shall designate suitable persons to be responsible for safety co-ordination. These persons shall be referred to as Control Persons. Their designations, e-mail ids and telephone nos. shall be exchanged between all the concerned persons. Any change in the list shall be notified promptly to all the concerned."

6. **Amendment of Regulation 6.1 of the Principal Regulations**

Under this Regulation, the number "7.2 to 7.4 shall be read as 6.2 to 6.4".

7. **Amendment to Attachment – 1 of the Principal Regulations**

Clause 6.7 (1) of Attachment – 1 of the Principal Regulations, shall be substituted as under:-

"The metering for 230 V single-phase supply shall be provided on a suitable board, located in such a place protected from sun and rain **enclosed in a suitable tamper-proof box** and shall be in a convenient position for taking readings**. Similarly,** for 400 Volts three phase supply also, the meters and associated metering equipment including connections shall be enclosed in a suitable tamper-proof box. **The tamper-proof box shall be of sufficient strength and design with locking and sealing devices and shall have adequate provision for heat dissipation with the required electrical clearances. The design shall permit readings to be taken without access to the meter or its connections. The terminals of the meter and box shall be made tamper – proof and sealed**.

KEERTI TEWARI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./426/16]

Indiacode

EXPLANATORY NOTE ON DISTRIBUTION CODE (FIRST AMENDMENT) REGULATIONS, 2016

Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa & Union Territories is regulating the electricity sector in the State of Goa and Union Territories of Andaman & Nicobar Islands, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu, Chandigarh, Lakshadweep and Puducherry. The Commission in exercise of powers conferred under sub-Sections (1) and (2) of Section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf and after previous publications notified the Regulations called Joint Electricity Regulatory Commission (Distribution Code) Regulations, 2010, on 23rd May, 2011.

These Regulations were intended to enforce standards with respect to Quality, Continuity and Reliability of service by the licensees. Over a period of time with experience gained and feedback available, the Commission felt the need for a review of these regulations especially on the provisions relating to Power Quality Standards; Distribution planning for reduction of losses in the system in a cost effective manner; to ensure and maintain reliable and sound communication means for exchange of data, operating instructions etc. transparently between the licensee SLDC and the consumer having certain stipulated level of demand; Safety Co-ordination between the licensee and users; and provisions of foolproof metering cubicles for metering 230 V Single Phase Supply and 400 V three phase supply as per CEA's metering standards. At the same time, the endeavour during this review is also to rectify anomalies wherever noticed so as to present the Regulations in a more coherent and comprehensive manner to be easily understood for implementation by the licensee and the users.

Draft of the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa & Union Territories (Distribution Code) (First Amendment) Regulations, 2016 is accordingly formulated and as approved by the Commission is attached. In accordance with Rules 2005 for previous publication notified by the Central Government vide Notification No. GSR-387(E) dated 09.06.2005, notice is issued, uploading the draft on the website of JERC inviting views/comments/ suggestions of EDs (deemed licensees) and all other stakeholders).

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.03.05 12:01:33 +05'30'